# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–07 / 2015–16

कमल प्रसाद साह, पिता–स्व0 गणेश साह, वगै0 मो0–लखीकुण्डी, दुमका एवं अन्य

वनाम

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, पिता–स्व0 हरगौरी पाण्डेय वगै0, लखीकुण्डी, दुमका।

| आदेश की कम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 28.7.21 | **आदेश**<br>प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–07 / 15–16 में कमल प्रसाद साह, पिता–स्व0 गणेश साह, मो0–लखीकुण्डी, दुमका एवं अन्य के द्वारा जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, पिता–स्व0 हरगौरी पाण्डेय वगै0, लखीकुण्डी, दुमका के विरुद्ध अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–210 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक–03.06.2011 के विरुद्ध नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया है।<br>अपीलकर्ता के द्वारा अपने आवेदन में वर्णित किया गया है कि मौजा–लखीकुण्डी, सरदारी सर्किल–कुमड़ाबाद, थाना–दुमका नगर, जिला दुमका के जमाबंदी सं0–94 / 3, दाग सं0–398, रकवा 12 धूर भूमि दालेश्वरी पाण्डेय पति–विन्देश्वरी पाण्डेय ग्राम–लखीकुण्डी के नाम है। निबंधन एक्ट की धारा 17 के अन्तर्गत दालेश्वरी पाण्डेय के द्वारा उक्त भू–भाग को सियावती देवी, पति–गणेश राम साह, को ब्रिकी किया है।<br>अपीलार्थी के द्वारा यह भी वर्णित किया गया है कि अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–210 / 11–12 में अंचलाधिकारी दुमका के द्वारा सियावती देवी के नामान्तरण वाद को इस प्रतिवेदन के साथ अस्वीकृत किया गया है कि आवेदिका सियावती देवी ने निबंधित विक्रय डीड सं0–1745, दिनांक–16.04.80 के द्वारा उक्त भूमि का क्रय दालेश्वरी पाण्डेय पति–बिन्देश्वरी पाण्डेय से किया है। परंतु उक्त वाद में निबंधित दलिल को विक्रेता दालेश्वरी पाण्डेय, पति–बिन्देश्वरी पाण्डेय ने निबंधित दलील सं0–2171, दिनांक–17.05.1980 को रद्द कर दिया है। उक्त भूमि को लेकर क्रेता एवं विक्रेता के बीच विवाद चल रहा है।<br>अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। नामान्तरण वाद सं0–210 / 11–12 में प्रतिवेदित है कि आवेदिका सियावती देवी ने निबंधित विक्रय दलिल सं0–1745 दिनांक–16.04.1980 के द्वारा उक्त भूमि का क्रय दालेश्वरी पाण्डेय पति–बिन्देश्वरी पाण्डेय से किया है। उक्त निबंधित दलिल को | |

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी के साथ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | विक्रेता दालेश्वरी पाण्डेय, पति–बिन्देश्वरी पाण्डेय ने निबंधित दलील सं0–2171, दिनांक–17.05.1980 के द्वारा रद्द कर दिया है।<br><br>किसी भी निष्पादित निबंधित दलिल बिना सक्षम न्यायालय के खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में निबंधित दलिल को (Uni laterally) एक पक्षिय रदद् कर दिया गया है। जो कि नियम संगत नहीं है।<br><br>अतः नामान्तरण अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित।<br><br>28.07.2024<br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br>दुमका।<br><br>28.07.2024<br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br>दुमका।<br><br>Digitally signed by ABDUS SAMAD<br>Date: 2024.07.27 19.07.43 +05:30<br>Location: 192.168.29.122 | |